कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र
06 सप्रू मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

पत्र संख्याः 4063 **ल0क्षे0/क्षे0प्र0/ठेका/नीलामी विज्ञप्ति/2018** **दिनांक** 15 **–05–2018**

ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत अत्याधुनिक वातानुकूलित बस स्टेशन कैसरबाग के शॉपिंग ऐरिया में बने स्टाल संख्या 01, जिसका क्षेत्रफल 72.87 वर्गफिट है, जिसमें नवसृजित मेडिकल स्टोर (जेनेरिक) स्टाल को ब्राण्डेड कम्पनी/फर्म (फ्रेन्चाईजीस) द्वारा संचालित कराया जाना प्रस्तावित है, जिसको संचालित कराये जाने हेतु आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

मेडिकल स्टोर (जेनेरिक) स्टाल को ब्राण्डेड कम्पनी/फर्म (फ्रेन्चाईजीस) के माध्यम से संचालित कराये जाने हेतु ई–टेण्डर के माध्यम से www.e-tender.up.nic.in पर दिनांक 17.05.2018 समय 14.00 बजे से दिनांक 29.05.2018 समय 18.00 बजे तक अपलोड की जायेगी। दिनांक 30.05.2018 दिन बुधवार को समय 15.00 बजे ई–निविदा खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु निविदा के साथ एक माह हेतु प्रस्तावित राशि के आधार पर तीन माह के समतुल्य अर्थात् एक वर्ष की सम्पूर्ण धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में निविदा के साथ जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ के पक्ष (rmupsrtc lucknow) में बनवाकर निविदा में अपलोड करना होगा तथा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा की हार्ड कापी के साथ समस्त अभिलेखों सहित क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, लखनऊ में उपस्थित होकर प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।

निविदा फार्म मूल्य रूपया 200.00 (रू0 दो सौ मात्र) + जी0एस0टी0 36.00 कुल धनराशि रू0 236.00 जिसकी वापसी नहीं होगी का डी0डी0 rmupsrtc lucknow के पक्ष में देय होगा।

निविदा की आवश्यक योग्यतायें/शर्तें

1– जिन स्टाल संचालकों के नाम काली सूची में (परिवहन निगम की) है, वे निविदा डालने के लिये अर्ह नहीं होंगे और उनके निविदा पर विचार नहीं होगा।

2– निविदादाता को अपना नाम, पिता का नाम, आधार/निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 नम्बर के पंजीयन का प्रमाण पत्र व निवास स्थान का चाल–चलन का सत्यापन पुलिस अधिकारी का 06 माह से कम अवधि का तथा अपनी फोटो (पासपोर्ट साइज) की स्वयं प्रमाणित कर निविदा पत्र की हार्ड कापी के साथ लाना अनिवार्य होगा।

3– मेडिकल स्टोर (जेनेरिक) स्टाल हेतु निविदा पर क्षेत्रीय समिति के माध्यम से विचार किया जायेगा। टोकन मनी जमा कर खुली बोली बोलने का प्राविधान समाप्त कर दिया गया है।

4– जिस स्टाल व स्थान के लिये निविदा किया जा रहा है उक्त स्टाल का नाम व स्थान का नाम निविदा फार्म पर स्पष्ट रूप से समस्त सूचनाओं सहित अपलोड करना अनिवार्य है।

5– परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा, यदि किन्ही कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा स्टाल के संचालन का स्थान परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा।

6– स्टाल की नीलामी का निस्तारण निविदा में प्राप्त उच्चतम दरों के अनुसार किया जायेगा। क्षेत्रीय समिति द्वारा दिनांक 17.05.2018 से 29.05.2018 तक ई–टेण्डर अपलोड कराये जाने पर प्राप्त ई–निविदा पर दिनांक 30.05.2018 को समय 15.00 बजे प्राप्त निविदायें/ई–टेण्डर खोलकर विचार करते हुये निविदा में उच्च निविदादाता को ठेका दिये जाने पर क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

7– परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ के परिपत्र संख्याः 1201एवं 1202 एमए/12–177एफए/01 दिनांक 11.05.2012 में दिये गये निर्देशानुपालन में पी0पी0पी0 योजना के अन्तर्गत तीन वर्ष के लिये स्टॉल उठाया जायेगा तथा स्टाल नियमावली 2009 में अंकित प्राविधानों के अनुसार निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिमाह अंकित किराये पर प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी निविदादाता को स्वयं करनी होगी, का निविदादाता को पालन करना होगा।

8– प्रतिमाह निविदा पत्र में अंकित धनराशि पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0/सेवाकर नियमानुसार के साथ प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व मासिक किराया अग्रिम रूप से जमा करना होगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

09– निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को नियमानुसार आगणित धनराशि के अनुसार 04 प्रतिशत स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।

10– जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालक को मेडिकल स्टोर चलाये जाने का प्रमाण पत्र (फारमेसिस्ट) संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

11 जेनेरिक मेडिकल स्टोर का ठेका होने पर ठेका संचालक द्वारा लगाये गये कर्मचारियों का ई0पी0एफ0/ई0एम0आई0 आदि की कटौती सम्बन्धित एक्ट के अधीन किये जाने का दायित्व ठेका संचालक का होगा। ठेका संचालक द्वारा लगाये गये कर्मचारी परिवहन निगम के नहीं माने जायेगे तथा किसी भी नबालिक को स्टालों पर कार्य में नही लगाये जाने का लिखित आश्वासन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

12– निविदा फार्म मूल्य रू0 200.00 + जी0एस0टी0 जिसकी वापसी नहीं होगी का डी0डी0 जो rm upsrtc lucknow के पक्ष में देय होगा तथा हार्ड कापी के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा शुल्क का ड्रफ्ट हार्ड कापी के साथ संलग्न न करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

14– निविदा के साथ एक माह हेतु प्रस्तावित राशि के आधार पर तीन माह के समतुल्य अर्थात एक वर्ष की सम्पूर्ण धनराशि का 25 प्रतिशत (03 तीन माह की) धनराशि का बैंक ड्रफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में निविदा के साथ जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ (rmupsrtc lucknow) के नाम बनवाकर निविदा में अपलोड करना होगा तथा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा की हार्ड कापी के साथ समस्त अभिलेखों सहित क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, लखनऊ में उपस्थित होकर प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।

15– निविदा प्रपत्र के साथ स्टाल एवं दुकानों के आवंटन हेतु जनपदीय मुख्यालय के बस स्टेशनों हेतु प्रत्येक स्टाल के लिये रू0 10,000/– तथा इससे भिन्न स्टेशनों हेतु रू0 2000/– आर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट निविदा पत्र पर अपलोड करना होगा। निविदा स्वीकृत होने पर परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ के परिपत्र संख्याः 1118रोपी/15–177एफए/01कानपुर–11 दिनांक 05.11.2015 के अनुपालन में रू0 10,000/– व 2000/– का ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।

16– समिति द्वारा स्वीकृत स्टाल हेतु स्टाल की उपलब्धता एवं अपयुक्तता का निर्णय सक्षम समिति का ही मान्य होगा।

17– किसी शर्त को अंकित करते हुये निविदा प्राप्त कराये जाने पर प्राप्त निविदा को निरस्त कर किया जायेगा।

18– इच्छुक निविदाकर्ता 02 लिफाफे में अपनी बिड प्रस्तुत करेंगे। प्रथम तकनीकी व द्वितीय फाइनेन्शियल लिफाफे में से पहले लिफाफे में सभी आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र/शुल्क सम्बन्धी डीडी/दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियां रखे। सभी अभिलेख एवं उपरोक्त शर्ते पूर्ण होने पर ही द्वितीय लिफाफा (फाइनेन्शियल) खोला जायेगा अन्यथा शर्ते पूरी न करने वाले निविदाकर्ताओं की फाइनेन्शीलय बिड के लिफाफे को अस्वीकार करते हुये वापस कर दिया जयेगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि नीलामी को उक्त निविदा नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करेः–

1– वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2– प्रधान प्रबन्धक(विविध/पीआईडीएम/वाणिज्य), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3– सहायक प्रबन्धक(एम0आई0एस0), वैब मास्टर, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4– जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम।
6– सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
7– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र को इस आशय से कि सम्बन्धित निविदा स्टेशनों एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये।
8– सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ।
9– कोषाध्यक्ष/नोटिस बोर्ड, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
लखनऊ।

Downloaded from www.upsrtc.com

Downloaded from
www.upsrtc.com